

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 302/2014

दर्ज दिनांक: 04/12/2014

निर्णय दिनांक : 15/12/2017

श्री सुशील पारीक आयु 54 वर्ष पुत्र श्री बिहारीशरण पारीक, जाति ब्राह्मण,
निवासी: 4/55, एस.एफ.एस मानसरोवर, जयपुर।

—वादी

बनाम

1. श्रीमती फूला देवी आयु 68 वर्ष बेवा स्व. कल्याण कुम्हार, जाति कुम्हार, निवासी: ग्राम माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. श्रीमती संतोष देवी आयु 49 वर्ष पुत्री स्व. कल्याण कुम्हार पत्नि मोहन कुम्हार जाति कुम्हार, निवासी: ग्राम सोडा, तहसील मालपुरा जिला टोंक।
3. तहसीलदार तहसील फागी, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:

श्री सुनील कुमार शर्मा एडवोकेट

श्री प्रहलाद सहाय चौधरी एडवोकेट


विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री पी.सी. शर्मा एडवोकेट

श्री बी.पी. शर्मा एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही।


उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

निर्णय दिनांक: 15/12/2017

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1282 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा ग्राम माधोराजपुरा, पटवार हल्का माधोराजपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के दर्ज हिस्से 42/53 में से वादी की आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 2 बीघा 10 बिस्वा अर्थात् वादी का 25/53 हिस्सा है एवं उक्त हिस्से पर वादी काबिज काश्त रहकर सरकारी लगान अदा करता आ रहा है। उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी वादी की क्रयशुदा आराजी कृषि भूमि है जो कि वादी ने पूर्व खातेदार कल्याण पुत्र बिज्या कुम्हार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.05.2008 को प्रतिफल एवज रूपये 3,75,000/- रूपये में 02 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि क्रय की गयी थी तथा क्रय दिनांक से लेकर आज तक वादी उक्त आराजीयात पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। वादी के कानून की अनभिज्ञता के कारण उसके द्वारा क्रयशुदा आराजीयात का विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने के पश्चात् नामान्तकरण नहीं खुलवाया जा सका और इसी कारण वादी के नाम नामान्तकरण तस्दीक नहीं करवा पाया जिसके परिणामस्वरूप उक्त आराजी कृषि भूमि पूर्व खातेदार कल्याण पुत्र बिज्या कुम्हार के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर चलती रही और इसी दौरान पूर्व खातेदार कल्याण पुत्र बिज्या कुम्हार का देहान्त हो गया और इस पर कल्याण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने यह जानते हुये भी कि उक्त आराजी कृषि भूमि का बेचान उनके पति/पिता द्वारा वादी को किया हुआ है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर कल्याण पुत्र बिज्या की विरासत का नामान्तकरण संख्या 1460 दिनांकित 21.11.2011 के द्वारा संपूर्ण आराजी कृषि भूमि का अपने नाम करवा लिया जबकि प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से का नामान्तकरण खुलवाने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं था उक्त नामान्तकरण बमुकाबले वादी शून्य व प्रभावहीन है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आराजीयात का अपने नाम विरासत नामान्तकरण खुलवा लेने के पश्चात् अब प्रतिवादीगण की नियत में




उपखण्ड अदि
फागी (जयपुर)

फितुर है कि वो वादी की क्रयशुदा आराजी कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने व बेचान कर वादी को उनके हक व हिस्से बेदखल व वंचित करने की फिराक में है जिसका कि प्रतिवादी को कानूनन कतई कोई अधिकार नहीं है उक्त विवादित आराजी कृषि भूमि में वादी का हिस्सा निहित है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कुछ बाहरी लोगो के बहकावे में आकर वादी की क्रयशुदा आराजी कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते है। अभी हाल समय में दिनांक 15.11.2014 को जब वादी अपनी क्रयशुदा आराजी कृषि भूमि में बोई हुई फसल के सांर संभाल हेतु आराजी कृषि भूमि पर आया हुआ था तो मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व उनके साथ चार-पांच अजनबी आदमी थे जिन्होने आराजी कृषि भूमि की ओर इशारा करके उसे बेचान करने की बातचीत करने लगे तो वादी ने उनसे जाकर आराजी कृषि भूमि पर आने का करण जानना चाहा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बेहद नाराज हो गई एवं वादी को धमकियां देने लगी की आराजी कृषि भूमि हमारे नाम है जिसे हम हमारे साथ आये लोगो को बेचान करेगे जो तुम्हे आराजी कृषि भूमि से बेदखल कर देगे इस कारण वादी को उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो वादी की क्रयशुदा आराजी कृषि भूमि का स्वयं के नाम गलत रूप से नामान्तरण तस्दीक करवा लेने के आधार पर दीगर व्यक्ति को बेचान कर वादी को उसके हक व अधिकारो से महरूम करे एवं कब्जे काशत से बेदखल करे जबकि वादी को यह हक व अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को मान्य न्यायालय से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा सके। प्रतिवादी संख्या 3 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार कायम किये गये है जिनसे वादी द्वारा इनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा की जावे कि वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1282 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा में से वादी 2 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 25/53 हिस्से का खातेदार काशतकार है एवं काबिज काशत है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि




सपुखण्ड अधिकारी
फाजी (जयपुर)

वादी के हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करे, न अन्य व्यक्ति, हाली, सीरी, एजेन्ट, प्रतिनिधि से करावे व प्रतिवादीगण 1 व 2 विवादग्रस्त आराजी कृषि भूमि को किसी प्रकार विक्रय, हस्तान्तरण या रहन आदि नहीं करे व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 25.08.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री प्रेमचन्द शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 03.05.2016 को वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सी.पी.सी पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 15.09.2016 को वकील वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सी.पी.सी पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दिनांक 13.12.2016 को बाद बहस मनन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सी.पी.सी. खारिज किया गया। दिनांक 10.01.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब प्रस्तुत करने के काफी अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत न करने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब बंद किया गया। दिनांक 11.04.2017 को प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध बावजूद अखबार साया तलबी न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया। दिनांक 16.05.2017 को वकील वादी ने साक्ष्य में सुशील पारीक पुत्र बिहारीशरण, सुरेश पुत्र लल्लूराम व तेजराम पुत्र पांचू के शपथ पत्र पेश किये शामिल पत्रावली किये गये। गवाहान के बयान लिये गये। दिनांक 10.10.2017 को प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के काफी अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण वकील प्रतिवादी की अनापत्ति पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर, पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 26.05.2008, शपथ पत्र सुशील पारीक पुत्र बिहारीशरण, सुरेश पुत्र लल्लूराम व तेजराम पुत्र पांचू इत्यादि का



उपखण्ड अधिकारी
फाजी (जयपुर)

ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 42/53 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 26.05.2008 से वादी द्वारा खसरा नंबर 1282 रकबा 05 बीघा 6 बिस्वा में से 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि क्रय किया जाना साबित पाया जाता है। गवाहान ने अपने बयानों में भूमि वादी द्वारा क्रय किया जाना एवं विक्रय प्रतिफल दिया जाना बताया है।


प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद का जवाब प्रस्तुत करने के काफी अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध बावजूद अखबार साया तलबी न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी है।

प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने के पश्चात् मेरे द्वारा न्यायहित में वादी वाद स्वीकार कर खसरा नंबर 1282 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा में वादी को 25/53 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 1282 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा ग्राम माधोराजपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर में वादी को 25/53 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/12/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)
बइजलास-सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान
सुशील पारीक
बनाम
श्रीमती फूला देवी व अन्य

::- वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::-
मुकदमा नं० - 302/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु वकील वादी हाजिरी रुबरु प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 1282 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा ग्राम माधोराजपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर में वादी को 25/53 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करे।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।



बसंत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15/12/2017 को जारी की गई।

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
ओहदा.....

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बबत इजराय हुकमनामा		
बबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)